श्री राहुल रंजन महिवाल भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2019 के अपराहन 04.00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष, औरंगाबाद में बिहार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में आहुत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उपस्थित कमिटि के सभी सदस्यों को बिहार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं 2012 के नियामवली के उद्देश्य एवं कार्यान्वयन संबंधि जानकारी दी गयी।

1. समिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के समस्या के समाधान हेतु पूर्व की बैठक मे निर्णय लिया गया था कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने चौकिदार के माध्यम से समस्या का पता लगवाएगें एवं प्राप्त सूचना के आधार पर समस्या को एक अलग पंजी में संधारित करेगें एवं इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग को देंगें। इसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है जिसके लिए जिले का एक थाना औरंगाबाद नगर को नोडल थाना के रूप में चयनित किया जाता है एवं अनुपालन हेतु पुलिस अधिक्षक, औरंगाबाद को आवश्यक निर्देश देने हेतु जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से अनुरोध किया गया।
2. श्री राजेश्वर उपध्धाय एवं श्री अजित कुमार सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि सदर अस्पताल, औरंगाबाद एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औरंगाबाद जिला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से पूर्जा कटवाने हेतु कांउटर की व्यवस्था, बैठने हेतु कुर्सी एवं अस्पताल परिसर में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाय।

   उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया की चिकित्सीय आवश्यकता के समय वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की बुजुर्गों को ईलाज कराने में सहुलियत हो। जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्य योजना तैयार की गयी है जिससे की आपात स्थिति में बुजुर्गों को मदद पहुचाई जा सके।
3. समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि जिला में वृद्धाश्रम कार्यरत नहीं है। इसकी व्यवस्था के लिए क्या किया जा सकता है, विभाग से पत्राचार करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया।
4. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला पदाधिकारी महोदय अपने स्तर से सभी कार्यालय के कर्मियों को निदेशित करेंगें कि वे बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगें एवं यह भी सुझाव दिये सभी थानों में बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत सुनने हेतु अलग कांउटर स्थापित किया जाय एवं दर्ज शिकायतों का संधारण रजिस्टर में करेंगे जिसकी सूचना प्रत्येक माह/तिमाही प्रतिवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराएगें।
5. श्री राजेश्वर उपध्धाय एवं श्री अजित कुमार सिंह द्वारा कमिटि की बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर को उपस्थित नहीं रहने के कारण जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि उन्हें बैठक में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु निदेशित करेंगें क्योंकि बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण से संबंधित शिकायतों का निराकरण उन्हीं के स्तर से किया जाता है।
6. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया कि अगले बैठक में इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु C.D.P.O, थानाध्यक्ष, महिला हेल्पलाईन के प्रभारी एवं विधि शाखा के प्रभारी को भी आंमत्रित किया जाय।
7. इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु समिति के सदस्यों द्वारा एक कार्यशाला आयोजित करने हेतु सुझाव दिया गया। इसके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र को अधिकृत किया गया है। कार्यक्रम का रूप रेखा तैयार कर वे सिविल सर्जन को उपलब्ध कराएगें ताकि वे भी इसमें भाग ले सकें।
8. समिति के सदस्यों को जिले में कार्यरत बुनियाद केन्द्र के संबंध में जानकारी दी गयी। वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवाओं के लिए सामाजिक पुनर्वास तथा देखभाल हेतु बुनियाद केन्द्र की स्थापना अनुमण्डल स्तर पर प्रस्तावित है। वर्तमान में बुनियाद केन्द्र औरंगाबाद अपने नवनिर्मित भवन बारूण में संचालित है जहाँ

फिजयोथेरापी, आँख एवं कान जाँच, से संबंधित उचित परामर्श दिया जाता है। समिति के सदस्यों को इस सुविधा के विषय में अधिक से अधिक लोगो को जानकारी देने एवं लाभ प्राप्त कराने हेतु प्रेरित करने का सुझाव दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यावाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक–264 /सा०सु० दिनांक– 25-7-19

प्रतिलिपिः– निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– समिति में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.7.19.
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

श्री राहुल रंजन महिवाल भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2019 के अपराहन 04.00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष, औरंगाबाद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संबंध में आहुत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उपस्थित समिति के सभी सदस्यों को जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के उदेश्य एवं कार्यान्वयन संबंधित जानकारी दी गयी।

1. दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र DDRC योजना क्रियान्वित की गयी है। वर्तमान में औरंगाबाद में स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र DDRC आवंटन के अभाव में क्रियाशिल नहीं है।
2. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र DDRC योजना के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागु होने के उपरान्त DDRC के पूर्व की मार्गदर्शिका में संशोधन की गया है। संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार DDRC के सूचारू क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर मार्गदर्शन प्राप्त करने का निणर्य लिया गया है।
3. श्री अजीत कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, औरंगाबाद राष्ट्रीय न्यास से निबंधित नहीं है जिसके कारण अनुदान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में सचिव रेडक्रॉस को दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, औरंगाबाद को नवीकरण कराने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के पूनरूत्थान हेतु अलग से चर्चा करने हेतु विशेष बैठक दिनांक– 19.07.19 को अप० 04:00 बजे दिव्यांग पूर्नवास केन्द्र में आयोजित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्याबाद बैठक की कार्यावाही समाप्त की गई।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक–265 /सा०सु० दिनांक–25-7-19

प्रतिलिपिः– निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– समिति में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.7.19
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

श्री राहुल रंजन महिवाल भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2019 के अपराहन 04.00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष, औरंगाबाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के तहत गठित जिला स्तरीय कमिटि की आहुत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उपस्थित कमिटि के सभी सदस्यों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के उद्धेश्य एवं कार्यान्वयन संबंधि जानकारी दी गयी।

1. जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को जिला स्तरीय समिति के कार्यो के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया।
2. समिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त अधिनियम की एक एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक जिला दिव्यांगज सशक्तिकरण कोषांग औरंगाबाद को सुझाव दिया गया की वे सभी सदस्यों को उक्त अधिनियम की प्रति उपलब्ध करायें।
3. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया की दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में प्रचार प्रसार होर्डिंग बैनर एवं लाउडीस्पीकर के माध्यम से कराया जाय।
4. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया की दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विशेष उपकरण एवं कृत्रिम अंग हेतु जो आवेदन प्राप्त है उन्हें प्राप्त आवटन से क्रय कर शीघ्र मुहैया कराया जाय एवं जरूरत मंदों से और आवेदन प्राप्त कर उन्हें भी उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
5. समिति के सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया की दिव्यांगों द्वारा की गयी शिकायत का निवारण तीव्र गती से किया जाय।

अन्त में सधन्यबाद के साथ बैठक की कार्यावाही समाप्त की गई।

ह०/–

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक–266 /सा०सु० दिनांक– 25-7-19

प्रतिलिपिः– निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– समिति में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.7.19

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।